

न्यायालय:-माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय-बैहर

C.R.A./22/2017

F.No. CRA/564/2017

CNR0MP50050008992017

संस्थित दिनांक - 24.02.2014

गंगू उर्फ गौतम पिता एमलाल उर्फ वहाल साहू उम्र 30 वर्ष जाति साहू
निवासी-ग्राम सालेवाड़ा थाना बिरसा
जिला-बालाघाट - - - - - अपीलार्थी ।

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र- बिरसा
जिला बालाघाट - - - - - उत्तरवादी ।

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्र.क्र.-05/2010 में पारित निर्णय
दिनांक 28.01.2014 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के
अंतर्गत यह दण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ।
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी/राज्य ।

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक 08 नवम्बर 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 05/2010 शासन बनाम गंगू उर्फ गौतम, में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2014 से परिवेदित होकर पेश की गई है ।
2. अभियोजन मामले का सार यह है कि प्रार्थी झुम्मकलाल कोठोर ने दिनांक 26.12.09 को एक लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी बिरसा की ओर लेख कर प्रेषित किया कि वह अतिरिक्त सहायक लाईनमेन के पद पर वितरण केन्द्र मोहगांव अंतर्गत पदस्थ होकर मानेगांव मुख्यालय में कार्यरत है । दिनांक 26.12.09 को ग्राम सालेवाड़ा में डिस्कनेक्शन के कार्य से गया था । गंगू पिता

हमेलाल जाति तेली ने लाईन का तार खींचकर अपने घर में अवैध रूप से बिजली की चोरी करते अपने घर में पकड़ा गया। डायरेक्ट लगे तार को निकालकर वायर को लपेट रहा था उसी समय गंगू साहू ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी तथा हाथ से वायर छीन लिया, बाएं हाथ को उमेठ लिया जिससे हाथ में दर्द हो रहा है। गंगू अवैध रूप से बिजली के तार पर तार डालकर चोरी कर रहा था, उसने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है।

3. उक्ताशय की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना बिरसा ने दिनांक 26.12.09 को धारा 294, 332, 353, 186, 506 भा.द.वि. के अधीन आरोपी गंगू पिता हमेलाल के विरुद्ध प्रथम सूचना लेख कर अपराध क्रमांक 88/09 की कायमी कर आहत फरियादी छोटू का परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, आहत के ड्यूटी सर्टिफिकेट को प्राप्त किया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन न करते हुए विधि विपरीत निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की है। धारा 332 भा.द.वि. में उल्लेखित प्रावधानों का विधिक रूप से विश्लेषण न कर अपराध संदेह से परे सिद्ध न होने के बावजूद दंडित कर त्रुटि की है, धारा 294 भा.द.वि. में उल्लेखित प्रावधानों व तथ्यों का साक्ष्य में पूर्ण रूप से अभाव होने के बावजूद दंडित कर त्रुटि की है, कांतालाल अ.सा.1, झुम्मकलाल कोठोरे अ.सा.2, मांगीलाल अ.सा.3, भगवानसिंह अ.सा.4, रामचंद अ.सा. 7 के कथनों पर गलत ढंग से विश्वास कर त्रुटि की है, लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के तथ्यों को ध्यान में न रखकर दंडित कर त्रुटि की है, अत्यधिक दण्ड देकर त्रुटि की है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दण्डाज्ञा विधिकरूपेण शून्य होकर निरस्त किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क.05/10, शासन विरुद्ध गंगू उर्फ गौतम, निर्णय दिनांक 28.01.2014 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

6. अपीलार्थी की ओर से श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता ने अंतिम तर्क कर निवेदन किया कि दोषसिद्धि के निष्कर्ष को वे चुनौती नहीं दे रहे हैं किंतु पारित दण्डादेश अधिक है, विधि में धारा 332, 294 भा.द.वि. में कारावासीय दंडादेश या अर्थदण्ड या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है तब नरम रूख अपनाते हुए अपीलार्थी को केवल अर्थदण्ड से दंडित किए जाने हेतु वे बल देकर अपील का निराकरण करना चाहते हैं।
7. मूल अभिलेख में संलग्न प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 7 के दस्तावेजों का अवलोकन कर अध्ययन किया गया जिसमें प्र.पी. 5 आहत का कर्तव्य निर्वहन प्रमाण पत्र है जो अ.सा. 6 राजेश कुमार पटेल ने न्यायालय के समक्ष कथन देकर प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 26.12.09 को मोहगांव में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। प्रार्थी झुम्मकलाल साक्षी के अधीन विद्युत विभाग में ग्राम मोहगांव में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत झुम्मकलाल ग्राम सालेवाड़ा डिस्कनेक्शन का कार्य करने गया था जिसका ड्यूटी प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.09 को थाना बिरसा को दिया था जो प्र.पी. 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
8. प्र.पी. 1 की लिखित रिपोर्ट तथा प्र.पी. 2 की कायमी रिपोर्ट झुम्मकलाल अ.सा. 2 के कथन से प्रमाणित है। मांगीलाल अ.सा.3 की साक्ष्य से आहत झुम्मकलाल का घटना के समय आरोपी ने आकर लाईनमेन का हाथ मरोड़ दिया था, घटना होते साक्षी ने अपने घर के सामने से स्वयं देखा था। अभियुक्त मां बहन की गाली गलौच कर रहा था जो सुनने में बुरी लग रही थी की साक्ष्य है, का प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं है। अन्य साक्ष्य से भी आहत झुम्मकलाल के साथ की गई घटना की पुष्टि होती है।
9. डॉ. एम. मेश्राम अ.सा.5 की साक्ष्य का अध्ययन किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने आहत प्रार्थी फरियादी झुम्मकलाल का हाथ मरोड़ा था किंतु डॉ. एम. मेश्राम अ.सा.5 द्वारा किए गए परीक्षण में उसे परीक्षण पूर्व 2 से 6 घंटे के पूर्व की उपहति कारित होना लेख है। पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि उसके मतानुसार दोनों चोटें कड़े, बोथरे और खुरदुरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी जो साधारण प्रकृति की थी। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि चोट क्रमांक 1 व 2 कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है।

10. डॉ. एम. मेश्राम असा. 5 की साक्ष्य और आहत झुम्मकलाल अ.सा. 2 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने आहत पर उपहति कारित की है, के संबंध में झुम्मकलाल की साक्ष्य नहीं है जबकि चिकित्सक साक्षी के अनुसार उपहति कारित हुई है। उपहति की अवधि परीक्षण पूर्व 2 से 6 घंटे की लेख है किंतु प्र.पी. 4 में परीक्षण का समय लेख नहीं है, शपथ पर दी गई साक्ष्य में परीक्षण का समय नहीं बताया गया है। चिकित्सीय परीक्षण हेतु लेख आवेदन पत्र कितने बजे लेख कर, कितने बजे रवाना किया है, का उल्लेख नहीं है इसलिए प्र.पी. 4 के द्वारा लेख की गई उपहतियां अभियुक्त/अपीलार्थी के द्वारा कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 506 भाग-दो भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया है अर्थात् अभियुक्त के कृत्य से फरियादी भयोपरत हुआ है, अभित्रास कारित हुआ है नहीं माना है, इसलिए धारा 332 भा.द.वि. का अपराध प्रमाणित मानकर त्रुटि की है।

11. अभियुक्त/अपीलार्थी गंगू तेली का कृत्य धारा 353 भा.द.वि. के अधीन आता है क्योंकि :- धारा 353 भा.द.वि. इस प्रकार है — लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग । अभिलेख पर आयी साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा आहत झुम्मकलाल अ.सा.2 का हाथ मरोड़ दिया की साक्ष्य से आपराधिक बल का प्रयोग करना प्रमाणित पाया जाता है इसलिए धारा 353 भा.द.वि. के अधीन अपराध घटित हुआ है।

12. धारा 332 भा.द.वि. का आरोप धारा 353 भा.द.वि. के अपराध के आरोप से गुरुत्तर है इसलिए धारा 353 भा.द.वि. के अपराध हेतु दोषसिद्ध पाकर दंडित किए जाने के लिए पृथक् से आरोप की विरचना कराकर गुणदोष पर निराकरण कराए जाने का निर्देश दिए जाने की विधिक आवश्यकता नहीं है। धारा 353 भा.द.वि. के अपराध हेतु दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को कारावासीय दण्ड से दंडित न कर केवल अर्थदण्ड से दंडित किया जाना पर्याप्त

होगा। धारा 332 भा.द.वि. के अधीन दोषसिद्धि निरस्त की जाती है, धारा 294 भा.द.वि. के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है किंतु कारावासीय दण्ड अपास्त कर अर्थदण्ड से दंडित किया जाना पर्याप्त है।

14. अतः अपीलार्थी गंगू उर्फ गौतम को धारा 332 भा.द.वि. के स्थान पर धारा 353 भा.द.वि. के अधीन दोषी पाते हुए केवल 1500/—(एक हजार पांच सौ) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा धारा 294 भा.द.वि. के अपराध हेतु अपीलार्थी को 500/—(पांच सौ) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अपीलार्थी को कमशः 06 माह एवं 23 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

15. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम दर्ज करने हेतु भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर